

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-5/स्थानांतरण/वि.विषय/2019-20/ 1-163 दिनांक-29.09.2019 के तहत ताहिरा बानो, व्याख्याता, उर्दू राउमावि भीमगंज मण्डी, कोटा का स्थानांतरण राबाउमावि छबड़ा वार्ड न.12, बारां एवं मोहम्मद फहीम अहमद व्याख्याता उर्दू का स्थानांतरण राउमावि कोटा रोड़, बारां से राउमावि भीमगंज मण्डी, कोटा किया गया। ताहिरा बानो ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3749/19 ताहिरा बानो बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3749/19 में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 28.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.19 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थीया ताहिरा बानो की सीमा तक स्थगित किया गया था।

अतः माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.19 को अपीलार्थीया ताहिरा बानो के संबंध में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया, जिसके फलस्वरूप ताहिरा बानो, व्याख्याता उर्दू राउमावि भीमगंज मण्डी, कोटा के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित, मोहम्मद फहीम अहमद का अन्तरिम समायोजन दोहरा पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राउमावि कोटा रोड़, बारां व्याख्याता, उर्दू के रिक्त पद पर किया गया।

तत्पश्चात अपील संख्या 3749/19 में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2020 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.19 को अपीलार्थी की सीमा तक एतद् द्वारा अपास्त किया जाकर हस्तगत अपील में दिनांक 28/11/19 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश की संपुष्टि की जाने के फलस्वरूप ताहिरा बानो, व्याख्याता उर्दू को राउमावि भीमगंज मण्डी, कोटा के पद पर यथावत किया जाता है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 29/07/2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/3749/2019/43

> प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 01 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
- 02 संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (गुफ-2) शासन सचिवालय जयपुर।
- 03 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
- 04 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
- 05 जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
- 06 विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रति प्रेषित कर लेख है कि न्यायिक प्रकरण का निस्तारण करावें।
- 07 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 08 संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान